5050 4698 1000Rs.

INDIA NON JUDICIAL

१000रु. Rs 1000

सत्यमेव जयते

भारत

एक हज़ार रुपये ONE THOUSAND RUPEES

यह विक्रय-पत्र आज दिनांक 17 माह मई सन् 2000 ई० को

इस प्रकार सम्पन्न हुआ ।

1· विक्रेता :-श्रीमती पार्वती देवी पति श्री गोविन्द प्रसाद, जाति स्वर्णकार,पेशा गृहणी निवास स्थान -सेकेण्ड स्ट्रीट हिन्दपीढ़ी थाना हिन्दपीढ़ी जिला राँची (भारतीय नागरिक)

2· क्रेता :- मिथलेश कुमार सिंह पिता श्री उमाकान्त सिंह,जाति हिन्दु,पेशा नौकरी,निवास स्थान क्वार्टर नं० डी० टी० 1885 धुर्वा थाना हटिया जिला राँची (भारतीय नागरिक) ।

"विक्रेता और क्रेता"सम्बोधनों में जब तक अन्यथा अपेक्षित अथवा प्रसंग के प्रतिकूल न हो उनके वारिस,उत्तराधिकारी -गण,प्रशासक,निष्पादक,प्रतिनिधि और सुपुर्ददार भी सम्मिलित माने जायेंगे । "

3· लेख्य प्रकार :- विक्रय-पत्र (रे ल डी ड) ।

4· मूल्य मात्र :- 15,500/- (पन्द्रह हजार पाँच सौ) रुपया

750Rs.

INDIA NON JUDICIAL

७५० रु. Rs750

सत्यमेव जयते

भारत

सात सौ पचास रुपये SEVEN HUNDRED & FIFTY RUPEES

5. अंचल का नाम :- अंचल कार्यालय नामकुम, रांची ।
सालाना मालगुजारी 0·25 पैसा ।

6· सम्पत्ति का विवरण एवं चर्तु:सीमा :-रिभीजनल सर्वे प्लाट नम्बर 545 अन्तर्गत खाता नम्बर 68 सेट नम्बर 3 रकबा 99 डिसमल मध्ये 8·44 {आठ दशमलव चौवालीस} डिसमील गाव हेयु थाना जगरनाथपुर थाना नम्बर 278 जिला रांची ।

खाता नं0	रिभिजनल सर्वे प्लाट नम्बर	सब प्लाट नं0	रकबा
68	545	545/ई·	8·44 डीसमील

{आठ दशमलव चौवालीस} डिसमील भूमि बिक्री किया ।
बिक्रीगत भूमि लाल रंग से रंगकर संलग्न मानचित्र में दर्शाया गया है जो इस बिक्री पत्र का अभिन्न अंग है ।

चर्तु:सीमा

उत्तर :- आर·एस·प्लाट नं0 546

दक्षिण :- सब प्लाट नं0 545/एफ·

पुरब :- 15 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता ।

पश्चिम :- 12 फीट चौड़ा प्रस्तावित रास्ता ।

क्र0पृ0उ0····3

500Rs.

INDIA NON JUDICIAL

५०० रु.   Rs 500

सत्यमेव जयते

भारत

पाँच सौ रुपये FIVE HUNDRED RUPEES

का र्या ... राँची

- 3 -

संदर्भ

विदित हो कि उपरोक्त भूमि गत रिभीजनल सर्वे खतियान में रघुनन्दन राम, कोल्हा राम, सहदेव राम एवं बोधी राम पिता रामदीन राम एक हिस्सा एवं नन्दकेश्वर राम पिता खेटु राम के नाम कायमी दर्ज है । तथा कैफियत कॉलम में बकब्जे नन्दकेश्वर राम दर्ज है । नन्दकेश्वर राम उक्त जमीन पर शान्ति पूर्वक दखलकार चले आ रहे थे, सन् 1945 में नन्दकेश्वर राम की पत्नी अचानक काफी बिमार हो गयी, ईलाज कराने हेतू इन्हें रूपये की सख्त आवश्यकता आ पड़ी अतएव नन्दकेश्वर राम, श्रीमती पार्वती देबी पति श्री गोबिन्द प्रसाद से 1000/-(एक हजार) रूपया कर्ज लिए तथा एक एकरारनामा लिखकर दिये कि अगर दो वर्ष के अन्दर कर्ज लिया रूपया नहीं लौटा पायेंगे तो उक्त जमीन लिख देंगे, और उक्त जमीन श्रीमती पार्वती देबी के जिम्मे दे दिये ।

उक्त रूपया समयानुसार श्रीमतीपार्वती देवी को नहीं लौटा सकें, कुछ वर्ष बाद नन्दकेश्वर राम अपने पिछे दो पुत्र जानकी राम एवं गणेश राम को छोड़कर मर गये, गणेश राम अपने पिछे अपने एकमात्र पुत्र भीम राम को छोड़कर मर गये ।

सन् 1962 में श्रीमती पार्वती देबी पति श्री गोबिन्द प्रसाद मुनसीफ के न्यायालय में टाईटल सुट मुकदमा, जानकी राम एवं भीम राम के विरूद्ध दायर किये जिसका मुकदमा संख्या टा०सू० 148 वर्ष 1962 दर्ज

100Rs.

हुआ। उक्त मुकदमें में प्रतिवादी न्यायालय में सुलहनामा लिखकर दे दिये, और उक्त जमीन वादी(श्रीमती पार्वती देवी) को राजी खुशी से सौंप दिये ।

तदुपरान्त न्यायालय बादी के पक्ष में फैसला दिया इसके बाद श्रीमती पार्वती देवी अपना नाम अंचल कार्यालय, नामकुम राँची में दाखिल खारीज कराकर सालाना मालगुजारी, बिहार सरकार को भुगतान करते हुये सालाना रसीद प्राप्त करते आ रही है । तथा उक्त जमीन में शान्ति पूर्वक दखलकार है ।

कुछ आवश्यक कार्य करने एवं बच्चों को व्यवसाय करने तथा मकान बनाने हेतु बिक्रेता को कुछ रूपये की आवश्यकता आ पड़ी अतएव उक्त जमीन में से 8·44 डी0 बिक्री करने का प्रस्ताव क्रेता के समक्ष रखी जिसे सरकारी तय दर के अनुसार 15,500/-रू0 में क्रेता खरीदन करने को तैयार हुई जिसे बिक्रेता उचित समझ कर बिक्री करने को तैयार हुई । अतएव इस विक्रय पत्र द्वारा प्रतिपादित किया जाता है कि :-

1· यह कि बिक्रेता अपने तन मन की स्वस्थावस्था में अपने हित और लाभ का विचार कर अपने विवेक और स्वेच्छा से बिना किसी अन्य के डराव धमकाव बहकाव दबाव या फुसलाव के उक्त भूमि रकबा 8·44 डीसमील भूमि को उक्त कारणों और उक्त प्रतिफल राशि 15,500/-रू0 के बदले सब प्रकार के ऋण भार से मुक्त क्रेता के हाथ बेच दिये, हस्तान्तरित की और सौंप दी ।

कृ0पृ0उ0·····5

20 Rs.

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत

INDIA

20RS

TWENTY RUPEES

उक्त भूमि के साथ उससे संबंधीत सभी हक,स्वत्व,अधिकार,दखल,लाभ, सुविधा आदि भी क्रेता को अन्तरित किया ।

2· यह कि प्रतिफल की कुल राशि 15,500/-रू0 मात्र क्रेता से बिक्रेता को आज के दिन प्राप्त हुई जिसकी प्राप्ति और वसुली इस लेख्य पत्र द्वारा विक्रेता कबुल मंजूर और सम्पुष्ट करती हैं । अब और किसी प्रकार का कोई पावना या बाकी बकाया नहीं रहा ।

3· यह कि बिक्रीगत भूमि सब प्रकार के ऋण भार दावा आदि से मुक्त सर्वथा शुद्ध,स्वच्छ,निर्मल निर्विकार निर्वैर और निर्विरोध है । किसी अन्य का दावा,हक,अधिकार और दखल उक्त भूमि पर नहीं है और न होगा । हम या हमारे उत्तराधिकारीगण अथवा अन्य कोई कभी भी किसी प्रकार का हक,दावा या अधिकार जतावे तो वह अनुचित,निर्मूल,निरर्थक और तथ्यहीन समझा जायेगा ।

4· यह कि आज से उक्त भूमि पर जो कुछ भी स्वत्व,स्वामित्व,अधिकार, हित और प्रभुत्व विक्रेता का था या आगे होता सो सब स्वत्व, स्वामित्व,अधिकार,हित और प्रभुत्व तथा उसकी कुल प्राप्ति,लाभ, उपज,सुख और सुविधा सदा के लिए क्रेता को प्राप्त हुआ और वंशानुगत प्राप्त होता रहेगा ।

5· यह कि क्रेता अब से उक्त सम्पत्ति के पूर्ण स्वामी और दखलकार हुए और अपने हित में जैसा चाहें व्यवहार में लावें इसमें हमें और हमारे परिवार वालों अथवा अन्य किसी का कोई हक तथा बिरोध नहीं होगा । कोई बिरोध करे तो वह अवैध और अनुचित होगा । वो क्रेता अपनी इच्छानुकूल मकान बनावें,बाग बगीचा लगावें,कूप निर्माण करावें,या बैय,बिक्री,करें सब कुछ करने के लिए समर्थ हैं । इसमें किसी

20 Rs.

बीस रुपये

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

TWENTY RUPEES

20 RS.

अन्य को या हमारे परिवार वालों को कोई अनुरोध विरोध नहीं होगा ।

6· क्रेता अपने नाम का दाखिल खारीज अंचल कार्यालय नामकुम, राँची तथा अन्यत्र जहाँ कहीं आवश्यकता हो करा लेंगे ।

7· यह कि उक्त जमीन बेचने हेतु विक्रेता शहरी भू-हदबन्दी शाखा राँची में धारा 26 के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 25·1·2000 ई· को दिये जिसका नं0 142/2000 दर्ज हुआ तथा 60 दिन बित चुका है ।

मूल दस्तावेज एवं द्वितीय प्रति एक दुसरे के हु-ब-हु एवं सच्ची प्रतिलिपि है ।

साक्षी स्वरूप उपर निर्दिष्ट तिथि मास वर्ष को विक्रेता अपने हस्ताक्षर से प्रमाणित करती है ।

मजमूनकर्त्ता :- Advocate (M.N. Shah)

गवाह

1· बलराम प्रसाद

2· गोविन्द प्रसाद

विक्रेता का हस्ताक्षर,

टं क क

(कुमार मेघनाथ कुँवर)

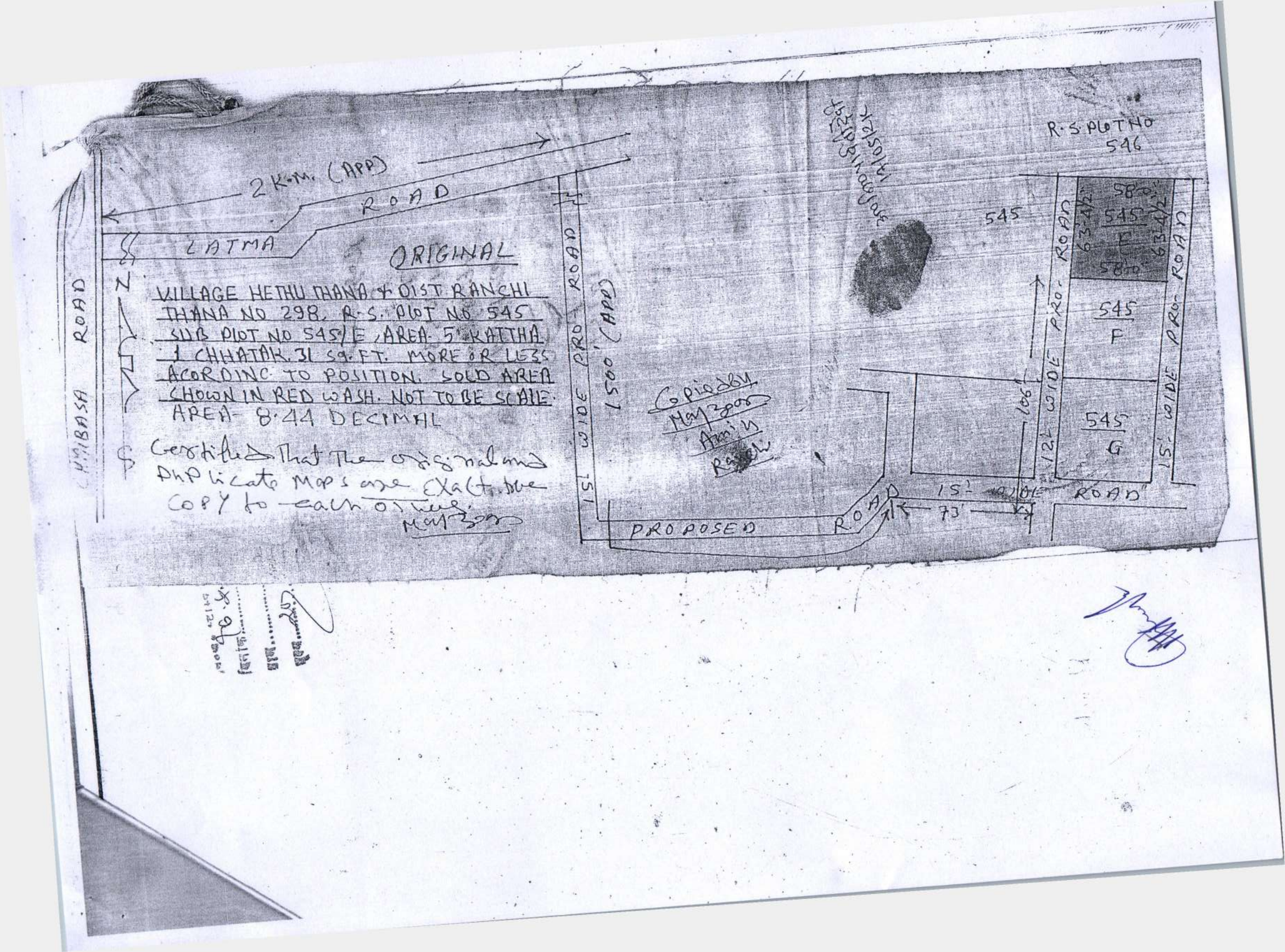

2 K.M. (APP)
ROAD
LATMA
ORIGINAL
N
CHAIBASA ROAD
VILLAGE HETHU THANA & DIST RANCHI
THANA NO 298, R.S. PLOT NO 545
SUB PLOT NO 545/E, AREA 5 KATTHA
1 CHHATAK 31 SQ.FT. MORE OR LESS
ACORDING TO POSITION. SOLD AREA
SHOWN IN RED WASH. NOT TO BE SCALE.
AREA 8.44 DECIMAL
Certified that the original and Duplicate Maps are Exact true copy to each other.
15' WIDE PRO- ROAD
1500' (APP)
Copied by Manjoor Amin Rasow
PROPOSED ROAD
73'
15' WIDE ROAD
106'
12' WIDE PRO- ROAD
15' WIDE PRO- ROAD
545
R.S. PLOT NO 546
58'0"
63'-4½"
545 E
545 F
545 G

—Form No V 40

CORRECTION SLIP SHOWING MUTATION IN RESPECT OF TENANCIES IN ESTATES IN GOVERNMENT

... Sub-division ... Circle / Anchal ... Halka III

रांची Name of State झारखण्ड ... सदर Thana Number ... नामकुम ...

Sl. No.	Mutation cash number in Register 27	Village	Thana and Thana Number	Number of tenancy to which the mutation relate	Authority sanctioning mutation with date of order	Whether mutation is due to sale gift exchange succession or partion	Full details of exchanges affected by mutation	Date of correction of the Halka Register by the Karmachari	Rem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	470 R 27 2000-01	हेहू	नगरनाथपुर 298		अंचल अधिकारी नामकुम का आदेश दिनांक: 9.12.2K	बिक्री निबंधन सं.- 4628 दिनांक: 17.5.2000	श्री मिथिलेश कुमार सिंह, पिता-श्री उमाकान्त सिंह, क्वा.नं. डी.डी. 1885 धुर्वा, रांची के नाम उक्त जमीन में दाखिल खारिज की स्वीकृति दी जाती		
	पंजी II V 02 IV पेज नं० 129 की 'C'	खाता नं. 68	प्लॉट नं. 545	रकबा 8.44 डि. (आठ दशमलव चौवालिस डिसमिल)	लगान Rs. 0=25				

Form ... नामकुम ... 12/12/2000

Memo No. Date

Circle Officer / Anchal नामकुम

Circle Anchal Adhikari

Forwarded to the Karmachari, Halka No. III for information any necessary action

राँची नगर निगम,राँची।

झारखण्ड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 152 (3) के अन्तर्गत स्वनिर्धारित किये गये संम्पती कर की सूचना।

Memo No : SAM/054/0120/19/20
Date : 24-04-2019
प्रभावी : प्रथम तिमाही 2016-2017

श्री/श्रीमती/सुश्री
MITHILESH KUMAR SINGH S/O UMA KANT SINGH

पता
URJA NAGAR LATMA ROAD SINGH MORE

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि आपका नया गृह सं.- 05400066150002O एवं नया वार्ड सं. 51 (पुराना वार्ड सं. 54) हुआ है. आपके स्व. निर्धारण घोषणा पत्र के आधार पर वार्षिक किराया मूल्य 0.00/- रू. निर्धारित किया गया है ।

इसके अनुसार प्रति तिमाही कर निम्न प्रकार होगा।

स्व-निर्धारित कर की सूचना		
क्रम सं.	Particulars	Amount (In Rs.)
1.	गृह कर	170.74
2.	जल कर	0.00
3.	शौचालय कर	0.00
4.	बिजली कर	0.00
5.	अतिरिक्त गृह कर (वर्षा जल संरक्षण की व्यवस्था नहीं होने के कारण)	0.00
कुल राशि (प्रति तिमाही)		170.74

To be signed by the Applicant

नोटः-

1. कर निर्धारण की सूची, राँची नगर निगम Website, www.ranchimunicipal.com पर प्रदर्शित है।
2. नियमावली कंडीका 11.4 के आलोक में वर्षा जल संरक्षण कि व्यवस्था नहीं होने के कारण अतिरिक्त गृह कर लगाया जायेगा जो सम्पति कर का 50% होगा ।. हिदायत दी जाती है कि, वर्षा जल संरक्षण संरचना लगा कर निगम को सूचित करे तथा अतिरिक्त गृह कर से राहत पायें ।
3. प्रत्येक वित्तीय वर्ष में संम्पती कर का भुगतान त्रैमासिक देय होगा।
4. यदि किसी वर्ष के लिए सम्पूर्ण घृति कर का भुगतान वित्तीय वर्ष के 30 जून के पूर्व कर दिया जाता है, तो करदाता को 5% की रियातय दी जाएगी।
5. किसी देय घृति को निर्दिष्ट समयावधि (प्रत्येक तिमाही) के अन्दर या उसके पूर्व नहीं चुकाया जाता है, तो 1% प्रतिमाह की दर से साधारण ब्याज देय होगा।
6. यह कर निर्धारण आपके स्व-निर्धारण एवं की गई घोषणा के आधार पर की जा रही है, इस स्व-निर्धारण -सह-घोषणा पत्र की स्थानीय जांच यथा समय निगम करा सकती है एवं तथ्य गलत पाए जाने पर नियमावली कंडीका 13.2 के अनुसार निर्धारित शास्ति (Fine) एवं अंतर राशि देय होगा।
7. राँची नगर निगम द्वारा संग्रहित इस सम्पति कर इन इमरतों/ढांचों को कोई कानूनी हैसियत प्रदान नहीं करता है और/या न ही अपने मालिकों / दखलकार को कोई कानूनी अधिकार प्रदान करता है।
8. अगर आपके नये होल्डिंग नं० का आखिरी अंक 5/6/7/8 है तो यह विशिष्ट संरचनाओं की श्रेणी के अन्तर्गत माना जायेगा ।

25-04-2019, am 10:59